# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

शुद्धि पत्र संख्या – 11/2024–25

क्रमांक : प.8A(9)EXAM/RAS&RTS./RPSC/EP-I/2024–25/114 दिनांक : 16.09.2024

आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2024 के कुल 733 (राज्य सेवाएं–346 एवं अधीनस्थ सेवाएं–387) पदों हेतु विज्ञापन संख्या 13/2024–25 दिनांक 02.09.2024 को जारी किया गया। उक्त विज्ञापन के पृष्ठ संख्या 4 पर अंकित **"विशेष योग्यजन/दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक/क्षतिपूरक समय उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में विशेष निर्देश"** के बिन्दु संख्या 5 का अंतिम भाग एवं बिन्दु संख्या 6 टंकित होने से छूट गया है। अतः यह बिन्दु संख्या 5 अधोलिखितानुसार एवं इसके निरन्तर में बिन्दु संख्या 6 को विज्ञापन मे निम्नानुसार सम्मिलित किया जाता है :–

5. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s) के तहत् परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से कम निःशक्तता) की श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण–पत्र (आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध Appendix-D) एवं दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय प्राप्त करने के लिये परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों के साथ आयोग से सम्पर्क करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय देय नहीं होगा।
6. श्रुतलेखक के संबंध में विस्तृत निर्देशों एवं प्रमाण–पत्रों का अवलोकन आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध "Candidate Information> Important Downloads> Instructions for availing services of Scribe" के अन्तर्गत करें। वेबसाईट पर उपलब्ध श्रुतलेखक संबंधी निर्देशों को विज्ञापन का ही भाग/हिस्सा माना जायेगा।

इसी विज्ञापन के पृष्ठ संख्या 6 पर अंकित **"प्रमाण–पत्रों के सत्यापन"** के बिन्दु संख्या 7 के नीचे अंकित बिन्दु संख्या 8 दो बार मुद्रित हो गया है जिसमें से प्रथम बार मुद्रित बिन्दु संख्या 8 को विलोपित किया जाता है।

विज्ञापन की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

16/9/24.

(रामनिवास मेहता)
सचिव